कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 12.05.2015

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2015 को सायः 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेंन्डिंग कमेटी की बैठक में M/s Jagdish Construction, Botunda Deoli Tonk द्वारा **अनुबंध संख्या 20**/2001-2002 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आंवटित कार्य " Excavation & Lining of LMC Bisalpur Project from RD 4.5Km to RD 9.5 Km" **के** क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लैम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। **इस बैठक मे निम्न अधिकारियो ने भाग लिया :–**

1. श्री वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री पांचाराम भाकल, अति. मु. अ. (मुख्या.) एवं अधिकृत प्रतिनिधि अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता जल संसाधन राजस्थान जयपुर।
4. श्री संतपाल मीणा अधी. अभि. एवं अधिकृत प्रतिनिधि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भांग, जयपुर।

अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना देवली प्रतिपक्ष की ओर से उपस्थित हुये तथा क्लेमेण्ट की और से कोई भी बैठक में उपस्थित नही हुआ।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि उक्त कार्य की निविदा अधीक्षण अभियन्ता,बांध वृत बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 3882 दिनांक 13.09.2001 द्वारा निविदा राशि रूपये 78,09,807/– पर 45.25 प्रतिशत कम बीएसआर राशि रूपये 42,75,869/– स्वीकृत की गई। जिसकी पालना में तत्कालीन अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 3628 दिनांक 13.09. 2001 द्वारा राशि रू. 42,75,869/–/– का कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ एंव समाप्ति की दिनांक क्रमशः 22.09.01 एवं 21.09.2002 (12 माह वर्षा ऋतु सहित) नियत थी परन्तु संवेदक द्वारा उक्त कार्य दिनांक 15.10.2001 को प्रारम्भ किया गया था। संवेदक द्वारा उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नही करने एवं अनुबंध के क्लाज 2 के तहत निर्धारित प्रोरेटा प्राग्रेस संधारित नही किये जाने के फलस्वरूप अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड तृतीय, बीसलपुर परियोजना, देवली द्वारा एवं अधीक्षण अभियन्ता बांध वृत बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा संवेदक को कार्य पूर्ण किये जाने हेतु बिना भेदभाव के नोटिस जारी किये गये थे। संवेदक द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण करने के लिये समय समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्य की समयावधि बढाने हेतु निवेदन किया गया था । जिस पर विभाग द्वारा राज्यहित में उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के मध्यनजर, कार्य की अस्थायी समयावधि बढाई गयी थी। जिसके उपरान्त भी संवेदक द्वारा उक्त कार्य समय पर पूर्ण नही किया गया। कार्य के अनुबन्ध के अनुसार उक्त कार्य दिनांक 21.09.2002 को पूर्ण किया जाना था परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किये जाने की निर्धारित दिनांक तक मात्र राशि रूपये 11.82 लाख का ही कार्य सम्पादित किया जाकर, कार्य को अपूर्ण छोड दिया गया। संवेदक द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नही करने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता बांध वृत देवली द्वारा दिनांक 18.06.2003 को अनुबन्ध धारा 2 के तहत शेष कार्य राशि रूपये 30.94 लाख पर 10 प्रतिशत शास्ति राशि रूपये 3,09,400/–

आरोपित करते हुए उक्त कार्य की समयावधि दिनांक 31.10.2003 तक बढाई गई लेकिन संवेदक द्वारा उक्त दिनांक तक भी मात्र राशि रूपये 1904811/– का ही कार्य कर, कार्य बन्द कर दिया गया। तथा संवेदक द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ नही किया गया। अत' अधीक्षण अभियन्ता द्वारा दिनांक 11.03.2005 को अनुबन्ध की धारा 3 के तहत उक्त शेष कार्य अन्य एजेन्सी करवाने के आदेश जारी किये गये।

संवेदक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नही थे। अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को यह भी अवगत कराया गया कि संवेदक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि कमेटी की पूर्व बैठक दिनांक 28.10.2014 में भी उपस्थित नही हुए थे तथा यह भी अवगत करवाया गया कि संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में अन्तर्गत धारा 10 व 11 आर्बीट्रेशन एक्ट 1996 के तहत उक्त विवाद सोल आर्बीट्रेटर के माध्यम से निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो कि एस.बी.सिविल आरबीट्रेशन प्रार्थना 89/2014 जगदीश कन्स. बनाम राज्य सरकार पंजीबद्व हुआ है। इस प्रकरण की माननीय न्यायालय के समक्ष पिछली श्रवण दिनांक 08.05.15 थी उक्त दिनांक को प्रकरण पर सुनवाई नही होने के कारण आगामी दिनांक माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जानी है।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा संवेदक द्वारा प्रस्तुत दावों के सम्बन्ध में विभागीय पक्ष रखा गया जो कि निम्नानुसार है। '–

1. <u>मुआवजा भुगतान समय पर नही होने से कार्य में रूकावट रही :–</u>

संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लैम में यह अकिंत किया गया कि प्रथम बार कुल 16 अवार्ड दिनांक 22.04.2002 को जारी किये गये थे। जो कार्य प्रारम्भ करने की निर्धारित दिनांक 22.09.2001 से 7 माह बाद जारी किये गये थे। इस प्रकार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से 7 माह तक भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के अभाव में कार्य में व्यवधान रहा था।

अधिशासी अभियन्ता कमेटी को अवगत कराया कि नहर की आरडी 4.5 किमी से 9.5 किमी के मध्य कुल 33 खाते प्रभावित थे जिसमें सवाई चक जमीन के खाते भी सम्मिलित थे। इनमें से 22 प्रकरणो में मुआवजा भुगतान हेतु अवार्ड माह 4/02 से 5/02 तक भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली द्वारा अवार्ड जारी किये गये। जिनके चेक अधिशासी अभियन्ता द्वारा माह 5/02 में 18 अवार्डो के 7/02 में एक अवार्ड, 8/02 में एक अवार्ड, 10/02 में दो अवार्डो का भुगतान वास्ते वितरिण हेतु चेक भूमि अवाप्ति अधिकारी बीसलपुर परियोजना देवली को भिजवाये गये थे। शेष 11 काश्तकारों की पत्रावलियों में जिनमें दो खाते सवाईचक से संबंधित एवं 9 अन्य खाते राज्यहित प्रभावित होने से भुगतान योग्य नही थें। जिनकी पत्रावलियां भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ड्राप कर दी गई थी। अतः संवेदक का कथन असत्य है कि मुआवजा भुगतान नही होने के कारण कार्य मे रूकावट रही। उक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि 31.9.02 थी जबकि संवेदक के पंक्ष में अस्थायी समयावधि दिनांक 31.10.03 तक बढाई गई थी फिर भी संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड दिया गया। अतः संवेदक द्वारा सूचित तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त योग्य है।

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

2. <u>कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात भी विभाग द्वारा भूमि अवाप्त कर संवेदक को साइट उपलब्ध न करवाना।</u>

संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लैम में यह अकिंत किया गया कि विभाग द्वारा बिना भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया जिसमें स्थानीय काश्तकारो द्वारा बाधाऐं उत्पन्न की गई।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि संवेदक को कार्य दिनांक 22.9.01 को प्रारम्भ कर दिनांक 21.09.02 को पूर्ण करना था लेकिन संवेदक द्वारा उक्त कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान नही होते हुए भी दिनांक 15.10.01 को कार्य प्रारम्भ किया। संवेदक द्वारा जुलाई, 2003 तक नहर की पूरी लम्बाई में खुदाई का कार्य पूर्ण कर दिया गया लेकिन लाईनिंग कार्य मे कोई कठिनाई नही थी परन्तु संवेदक द्वारा स्वयं के कारणों से टाइल्स के अभाव में लाइनिग का कार्य प्रारम्भ नही किया। अतः संवेदक द्वारा सूचित तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त योग्य है।

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

3. <u>विभाग द्वारा धारा 2 व 3 की मनमानी पूर्ण कार्यवाही</u>

संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लैम में यह अकिंत किया गया कि विभाग द्वारा बिना भूमि अवाप्ति की कार्यवाही किये निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया गया जिसमें स्थानीय काश्तकारो द्वारा बाधाऐं उत्पन्न की गई। इसके उपरान्त भी विभाग द्वारा मनमानी कार्यवाही करते हुये अनुबंध की धारा 2 व 3 की कार्यवाही की गई।

विभाग द्वारा संवेदक को समय समय पर बिना पक्षपात किये कार्य करने हेतु नोटिस जारी किये गये थे एवं अस्थायी समयावधि दिनाक 31.10.03 तक बढाई गई थी परन्तु संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण करने के प्रयास नही किये गये अतः विभाग की द्वारा अनुबन्ध की धारा 2 व 3 की कार्यवाही नियमानुसार प्रस्तावित की गई। अतः संवेदक द्वारा सूचित तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त योग्य है।

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

4. <u>गणना सही नही अधिक शास्ति राशि वसूल किया जाना</u>

संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लैम में यह अकिंत किया गया कि विभाग द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम बिल को स्वीकार ना करके प्रार्थी की अनुपस्थिति में अन्तिम नाप कर मात्र राशि रू. 219336/– के अन्तिम बिल का निस्तारण कर दिया जिससे प्रार्थी के विरूद्व क्षतिपूर्ति राशियों में काफी वृद्वि हुई।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि संवेदक से नियमानुसार अनुबन्ध कि धारा 2 के तहत राशि रूपये 3,09,400/– एवं धारा 3 सी के तहत राशि रूपये 6,13,179/– कुल राशि रूपये 9,22,579/– की वसूली नियमानुसार ही की गई है। अतः संवेदक द्वारा सूचित तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त योग्य है।

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

5. <u>संवेदक द्वारा प्रस्तुत अंतिम बिल के अनुसार भुगतान नही किया जाना</u>

संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लैम में यह अकिंत किया गया कि विभाग द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तिम बिल को स्वीकार ना करके प्रार्थी की अनुपस्थिति में अन्तिम नाप कर, मात्र राशि रू. 219336/– के अन्तिम बिल का निस्तारण कर दिया।

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी को अवगत कराया गया कि अपूर्ण कार्य के अंतिम बिल के भुगतान हेतु माप लेने हेतु संवेदक को संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा लिखने के पश्चात भी संवेदक अंतिम बिल के नाप लेने हेतु उपस्थित नही हुआ। अतः संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा कार्य का माप लेकर अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया। संवेदक द्वारा संबंधित सहायक अभियन्ता की अनुपस्थित में पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियन्ता से माप करवाकर जो बिल प्रस्तुत किया गया था वह विभाग को अस्वीकार था। अतः संवेदक द्वारा सूचित तथ्य आधारहीन होने के कारण क्लेम निरस्त योग्य है।

कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अतः कमेटी द्वारा क्लेम को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया ।

6. <u>संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम</u>

1. काटी गई राशि पर ब्याज 18 प्रतिशत (9 वर्ष कुल 1260 दिवस) राशि रूप्ये 15,73,736/–
2. मशीनरी के आइडल रहने का खर्चा (15.10.01 से 28.03.05 तक कुल 1260 दिवस)
   - (अ) टाटा हिटाची 1 नं. 500 दिन 1200 प्रतिदिन कुल राशि 6,00,000/–
   - (ब) जेसीबी 1 नं. 500 दिन 700 प्रतिदिन कुल राशि 3,50,000/–
   - (स) ट्रेक्टर 4 नं. 500 दिन राशि रूप्ये 8,00,000/–
   - (द) मिक्चर – बाइबेट्रटर 6 नं. 500 दिवस 100 प्रतिदिन रूपये 3,00,000/–

(य) केम्प खर्चा राशि रूप्ये 3,75,000/-

कुल राशि 1,13,98,678/-

अधिशासी अभियन्ता द्वारा कमेटी के समक्ष रखे गये विभागीय पक्ष को सुनने के पश्चात संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

(सत्यपाल मीणा) अति. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन सम्भाग, जयपुर	(पोखाराम भाकर) अति. सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन राज, जयपुर	(जाकिर हुसैन) संयुक्त शासन सचिव प्रतिनिधि वित्त विभाग	(वीरेन्द्र सिंह) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि विधि विभाग	(अजिताभ शर्मा) शासन सचिव जल संसाधन विभाग राजस्थान, जयपुर